रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 1999/वैशाख 2, 1921

No. 98] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 1999/VAISAKHA 2, 1921

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1999

संख्या ए-42012/1/98-ई-4/सीडीएन.—उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग का दिनांक 2 सितम्बर, 1997 के संकल्प संख्या ए-42012/2/24/91-ई-4 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त प्रशुल्क आयोग के विचारणीय विषय दिनांक 8 सितम्बर, 1998 के संकल्प संख्या ए-42012/1/98-ई-4 के अनुसार संशोधित किये गये हैं।

2. संशोधित विचारणीय विषयों से उक्त आयोग की भूमिका व उत्तरदायित्व बढ़ गये हैं जिससे अब अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो के महत्वपूर्ण कार्यकलाप भी शामिल हो जायेंगे। अपने कार्य संशोधित विचारणीय विषयों के अनुसार करने के लिए, प्रशुल्क आयोग को प्रशुल्क तथा प्रशुल्क से संबंधित मामलों में आंतरिक सहायता, अविच्छिन्नता एवं विशेषज्ञता की अपेक्षाएं होती हैं। पिछले वर्षों में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने प्रौद्योगिकी, आर्थिक विश्लेषण, वित्त तथा लागत-लेखा जैसे क्षेत्रों में व्यापक आंकड़ा आधार जुटाया है।

3. तदनुसार, सरकार ने उक्त आयोग द्वारा अपने कार्य प्रभावी तथा व्यावसायिक रूप से करने हेतु उसे आवश्यक संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को 1 अप्रैल, 1999 से प्रशुल्क आयोग में मिलाने का निर्णय किया है।

4. औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की तुलना में प्रशुल्क आयोग के कर्मचारियों के प्रबंधन हेतु पद्धतियों का निर्धारण उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th April, 1999

No. A-42012/1/98-E.IV/CDN.— The constitution of an independent Tariff Commission under the Department of Industrial Policy & Promotion in the Ministry of Industry was notified vide Resolution No. A-42012/2/24/91-E.IV dated 2nd September, 1997. The Terms of Reference (ToR) of the Tariff Commission have been revised vide Resolution No. A-42012/1/98-E.IV dated the 8th September, 1998.

2. The revised ToR has enlarged the role and responsibilities of the Commission that would now also inter-alia include the core functions of the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) as well. In order to discharge its functions as per the revised ToR, the Tariff Commission requires in-house support, continuity and expertise in tariff and tariff related matters. Over the years, BICP has accumulated extensive database and expertise in the areas of technology, economic analysis, finance and cost accounting.

3. Accordingly, the Government has decided to merge BICP with Tariff Commission to give the Commission the necessary resource base to carry out its functions in an effective and professional manner with effect from 1st April, 1999.

4. The modalities with respect to the staffing of Tariff Commission vis-a-vis the BICP would be worked out by the Committee under the Chairmanship of AS & FA of Ministry of Industry.

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054